संख्या–3ए–3–भत्ता–01 / 2022–.........10545........................ **/ वि०**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–06-10-2025

विषयः– **सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०–5780/वि०, दिनांक–21/05/2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01/01/2025 के प्रभाव से 55% की दर से महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता / राहत की दर 55% से बढ़ाकर 58% किये जाने की मंजूरी दी गई है

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महँगाई भत्ता / राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले